संख्या-149 /2018/1404/22-4-2018-48(114)/97

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 21 दिसम्बर, 2018

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं सुलभ कराये जाने के निमित्त तिहाड़ में संचालित कैन्टीन व्यवस्था की भाँति प्रदेश में भी व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-39557/सामा-1(5)/कैण्टीन व्यवस्था/2016, दिनांक 28.11.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि शासनादेश संख्या-1071पी/22-4-97-48(114)/97, दिनांक-06 अक्टूबर, 1997 एवं शासनादेश संख्या-207/2015/1397/22-4-15-48(114)/97, दिनांक 30 नवम्बर, 2015 द्वारा 13 खाद्य सामग्रियों को कारागार कैण्टीन के माध्यम से बन्दियों को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। कारागार कैण्टीन द्वारा, बन्दियों को पकी हुई सामग्री के विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय अनियमित्ताऐं संज्ञान में आयी हैं। अत: कारागार कैण्टीन में पकी हुई सामग्रियों को प्रतिबन्धित किये जाने तथा 20 अन्य सामग्रियों के विक्रय की अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 2015 द्वारा अनुमन्य, कारागारों की कैण्टीनों में पकी हुई 13 खाद्य सामग्रियों के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाते हुए कारागारों की कैन्टीनों में बन्दियों के दैनिक उपयोग हेतु निम्नलिखित 20 सामग्रियां मात्र ही विक्रय हेतु अनुमन्य की जाती हैं:-

1- दही/लस्सी (ख्याति प्राप्त फर्म का पैक्ड)
2- दूध व मट्ठा (ख्याति प्राप्त फर्म का पैक्ड)
3- पैक्ड बिस्किट
4- पैक्ड नमकीन
5- टूथ पेस्ट/पाउडर
6- टूथ ब्रश
7- पैक्ड अचार
8- साबुन
9- तेल-सरसों/नारियल/आंवला प्लास्टिक पैक में
10- चना
11- घी ब्रान्डेड पॉलीपैक में
12- ब्रेड/बन
13- पैक्ड लइया/चना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14- बनी हुई चाय

15- बूट पॉलिश

16- कच्छा

17- बनियान

18- चप्पल/जूता

19- रूमाल/तौलिया/गमछा

20- मोजे एवं मच्छर क्वायल/मच्छर क्रीम

3- कारागार कैन्टीन व्यवस्था हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-207/2015/1397/22-4-15-48(114)/97, दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।